राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ॰ प्र॰,
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक 3166/एस॰सी॰डी॰आर॰सी॰यू॰पी॰/एन॰12टी॰सी॰/2016–17, लखनऊ :: दिनांक 13 अगस्त, 2018

निविदा सूचना

उ॰ प्र॰ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यालय/कैम्प कार्यालय में स्थापित विभिन्न मेक एवं क्षमता वाले कुल 109 नग ए॰सी॰ तथा उसके साथ लगे विभिन्न मेक एवं क्षमता वाले 109 नग आटोमेटिक स्टेबलाइजर का कम्प्रेहेन्सिव वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि हेतु कराया जाना है।

अतः किसी भी कार्य दिवस में उक्त ए॰सी॰ एवं उसके साथ स्थापित आटोमेटिक स्टेबलाइजर का निरीक्षण कर अनुबन्ध से सम्बन्धित दरों को जी॰एस॰टी॰ कर सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा प्रपत्र, नियम व शर्ते एवं फाइनेन्सियल बिड प्रपत्र को निविदा प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 27.08.18 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में सांय 5.00 बजे तक राज्य आयोग कार्यालय के लेखानुभाग में धनराशि रू॰500.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करके प्राप्त कर सकते है, तथा दिनांक 28.08.18 को सांय 5.00 बजे तक निविदा प्रपत्र भरकर, नियम व शर्तो सहित अर्नेस्टमनी की राशि रू॰6000.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक एक लिफाफे में तथा फाइनेन्सियल बिड को एक लिफाफे में एवं उक्त दोनो लिफाफो को एक बड़े सील बन्द लिफाफे में करते हुये राज्य आयोग कार्यालय की निविदा पेटी में डाली जायेगी। निर्धारित जमा तिथि के उपरान्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 29.08.18 को राज्य आयोग की मीटिंग हाल में सांय 4.00 बजे समिति की उपस्थिति में निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, नियम व शर्ते एवं फाइनेन्सियल बिड राज्य आयोग की वेवसाइड http://scdrc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ॰प्र॰
लखनऊ।

कार्यालय :– राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश, सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ।

–: निविदा प्रपत्र :–

फार्म की राशि रू॰500/–

रसीद सं॰.............. दिनांक ....

1– सन्दर्भ/विज्ञापन संख्या... दिनांक.......................................

2– निविदादाता की फर्म का पूरा नाम व पता :– ....
....

3– फर्म के मालिक का नाम :– ....

4– फर्म के मालिक का स्थाई पता :– ....

5– यदि कैरियर कम्पनी के अधिकृत डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर है तो अवधि :– ....

6– सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों में स्पिलिट एवं विन्डो ए॰सी॰ की मरम्मत एवं सर्विसिंग के अनुभव की अवधि :– ....

7– टेक्नीकल स्टाफ की कुल संख्या ....

8. जी॰एस॰टी॰ पंजीकरण संख्या...

9– बिक्रीकर का पंजियन संख्या... प्रभावी दिनांक...................................

10– पैन कार्ड संख्या :– ....

11– निविदा प्रपत्र के साथ अनुरक्षण से सम्बन्धित अर्नेस्टमनी की धनराशि रू॰6000.00 का बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ॰प्र॰ के पक्ष में बनवाकर निविदा फार्म के साथ संलग्न किया जाय :–
बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक सं॰...................... दिनांक.............. बैक का नामः–............................
धनराशि रू॰...................... (रू॰..)

12– लेबर रजिस्ट्रेशन सं॰...प्रभावी दिनांक.........................

13– निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ॰प्र॰ लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में मै/हम निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त नियम शर्ते स्वीकार करता हूँ/करते है तथा निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई दरों पर निर्धारित अवधि में मरम्मत करना स्वीकार करता हूँ/करते हैं, जिसके लिए विभाग का निर्धारित निविदा प्रपत्र भरकर शुल्क सहित भेज रहा हूँ/ रहे हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर कर दिया है/कर रहें

निविदादाता का नाम :–..

निविदादाता का पता :–..

स्पष्ट शब्दो में हस्ताक्षर :– ....

फर्म का पूरा नाम :–...

फर्म का पूरा पता :–..

निविदादाता का दूरभाष सं॰/मोबाइल नं॰...

संलग्न :–

1– जी॰एस॰टी॰ कर पंजियन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति....................संलग्न है/नही

2– क्रमांक 11 के अनुसार अर्नेस्टमनी.. संलग्न है/नही

3– आयकर देय प्रमाण–पत्र की छाया प्रति.. संलग्न है/नही

4– श्रम विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति .... संलग्न है/नही

5– यदि कैरियर कम्पनी के अधिकृत डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर है तो प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें।

6– यदि टेक्निकल स्टाफ का ई॰एस॰आई॰ एवं ई॰पी॰एफ॰ की कटौती की जाती है तो कटौती का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7– सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव यदि हो तो प्रमाण संलग्न करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

फाइनेन्सियल बिड

103 नग कैरियर मेक, 05 नग एल॰जी॰ मेक एवं 01 नग तोसीबा मेक के विभिन्न क्षमता वाले वातानुकूलित संयंत्रों के अनुरक्षण की दरों से सम्बन्धित विवरण

क्रम सं॰	कार्य का विवरण	अनुरक्षण की अवधि	मात्रा	दर (प्रति नग)	धनराशि
1.	0.8 टन क्षमता वाले कैरियर मेक के स्पिलिट ए॰सी॰ एवं उसके साथ लगे 4 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाले आटोमेटिक स्टेबलाइजर सहित	365 दिन	04 नग		
2.	1 टन क्षमता वाले कैरियर मेक के स्पिलिट ए॰सी॰ एवं उसके साथ लगे 4 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाले आटोमेटिक स्टेबलाइजर सहित	365 दिन	06 नग		
3.	1.5 टन क्षमता वाले कैरियर मेक के स्पिलिट ए॰सी॰ एवं उसके साथ लगे 4 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाले आटोमेटिक स्टेबलाइजर सहित	365 दिन	56 नग		
4.	2 टन क्षमता वाले कैरियर मेक के स्पिलिट ए॰सी॰ एवं उसके साथ लगे 5 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाले आटोमेटिक स्टेबलाइजर सहित	365 दिन	31 नग		
5.	2 टन क्षमता वाले कैरियर मेक के हीटिंग सिस्टम सहित स्पिलिट ए॰सी॰ एवं उसके साथ लगे 5 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाले आटोमेटिक स्टेबलाइजर सहित	365 दिन	04 नग		
6.	1.5 टन क्षमता वाले विन्डो ए॰सी॰ एवं उसके साथ लगे 4 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाले आटोमेटिक स्टेबलाइजर सहित	365 दिन	02 नग		
7.	1.5 टन क्षमता वाले एल॰जी॰ मेक के स्पिलिट ए॰सी॰ एवं उसके साथ लगे 4 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाले आटोमेटिक स्टेबलाइजर सहित	365 दिन	05 नग		
8.	2 टन क्षमता वाला तोसीबा मेक का हीट सिस्टम सहित स्पिलिट ए.सी एवं उसके साथ लगा 5 के॰वी॰ए॰ क्षमता वाला आटोमेटिक स्टेबलाइजर सहित।	365 दिन	01 नग		
	योग		109 नग		
	जी॰एस॰टी॰ कर				
	शुद्ध धनराशि				

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

कार्यालय :— राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र० सी—1, विक्रान्त खण्ड—1, गोमती नगर, लखनऊ।

103 नग कैरियर मेक, 05 नग एल०जी० मेक एवं 01 नग तोसीबा मेक के विभिन्न क्षमता वाले वातानुकूलित संयंत्रों के कम्प्रेहेन्सिव वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध करने हेतु नियम एवं शर्ते

1. निविदा फार्म की राशि रू०500/— (रू० पाँच सौ मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक निबन्धक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पक्ष में बनाकर लेखानुभाग में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से दि०27.08.18 के मध्य किसी भी कार्य दिवस में सांय 5.00 बजे तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी तथा प्राप्त रसीद को फार्म के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता का व्यापार कर, सर्विस कर एवं लेबर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है निविदा प्रपत्र के साथ फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता फर्म के टेक्निकल स्टाफ का ई०एस०आई०एवं ई०पी०एफ० कटौती में रजिस्टेशन होना अनिवार्य है।
4. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान में ए०सी० के अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य का कम से कम पाँच वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र के साथ अर्नेस्टमनी (धरोहर) के रूप में धनराशि रू०6000/— (रू० छः हजार मात्र) बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक, निबन्धक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र० के पक्ष में बनवाकर निविदा फार्म के साथ मूल रूप में जमा करना होगा।
6. निविदा अन्तिम होने पर असफल निविदादाताओं की अर्नेस्टमनी वापस कर दी जायेगी, जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी। उस निविदादाता को अनुरक्षण की जी०एस०टी० कर सहित कुल धनराशि का जमानत के रूप में 5% जमा करनी होगी, जिसमें से अर्नेस्टमनी की राशि को समायोजित करते हुये शेष राशि का बैक ड्राफ्ट नजारत अनुभाग में निविदा स्वीकृति होने की तिथि से तीन दिन के अन्दर जमा करना होगा। जमानत की कुल धनराशि अनुरक्षण की अवधि तक जमा रखी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
7. यदि सेवा में किसी भी प्रकार की कमी पायी जाती है तो जमानत के रूप में जमा कुल धनराशि को जब्त करने तथा अनुरक्षण अनुबन्ध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र० लखनऊ को होगा।
8. अनुरक्षण अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी वातानुकूलित संयंत्र की मरम्मत कार्यशाला में ले जाकर करना अपेक्षित होगा तो ऐसी स्थिति में वातानुकूलित संयंत्र को कार्यालय से ले जाने, तथा मरम्मत कर कार्यालय में पुनः स्थापित कर चालू किये जाने का खर्च निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा।
9. वातानुकूलित संयंत्रों की शिकायत दर्ज होने के उपरान्त तीन घन्टे के अन्दर सर्विस देनी होगी।
10. वातानुकूलित संयंत्रों का अनुरक्षण अवधि (एक वर्ष) में 4 बार फुल सर्विस करनी होगी।
11. वातानुकूलित संयंत्रों का अनुरक्षण अनुबन्ध की दरों में अन्य पार्ट के साथ—साथ, फैन कन्डेन्सर, ग्रिल/फ्लैप, कम्प्रेशर आदि की मरम्मत अथवा उसके स्थान पर नया सामान लगाये जाने तथा गैस फिलिंग आदि कार्य भी शामिल होगा।
12. वातानुकूलित संयंत्रों से सम्बन्धित कोई भी पार्ट टूटने व खराब होने पर फर्म द्वारा बदला जायेगा।
13. अनुरक्षण का भुगतान दो समान किस्तो में अर्थात प्रथम किस्त का भुगतान अनुरक्षण आरम्भ की तिथि से छः माह की सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त तथा दूसरी किस्त का भुगतान अनुरक्षण आरम्भ से एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के उपरान्त देय होगा।

14. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न फाइनेन्सियल बिड़ में दर्शाये गये विभिन्न मेक के विभिन्न क्षमता वाले ए॰सी॰ एवं उसके साथ लगे आटोमेटिक स्टेबलाइजर का अनुरक्षण से सम्बन्धित दरें जी॰एस॰टी॰ कर सहित अंकित करना होगा।
15. यदि भविष्य में जी॰एस॰टी॰ कर में कोई परिवर्तन होता है तो तत्समय लागू कर की दर से भुगतान देय होगा।
16. निविदा प्रपत्र फर्म के स्वामी/साझेदार द्वारा ही हस्ताक्षरित करना अनिवार्य होगा।
17. सर्शत निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
18. अधिक संख्या में कैरियर मेक के ए॰सी॰ होने के कारण कैरियर मेक ए॰सी॰ के अधिकृत डीलर एवं सर्विस सेन्टर को वरियता प्रदान की जायेगी।
19. सफल/स्वीकृति निविदादाता को कार्य आदेश निर्गत करते समय सफल निविदादाता से नियम एवं शर्तो का अनुबन्ध पत्र रू॰100/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर करना होगा।
20. किसी प्रकार के कानूनी विवाद का क्षेत्र लखनऊ स्थित न्यायालय ही होगा।
21. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखनऊ को होगा।
22. निविदा प्रपत्र स्पष्ट अक्षरों में भरा जाना चाहिए, अस्पष्ट/अपठनीय निविदा प्रपत्र निरस्त समझी जायेगी।
23. निविदा की टेक्नीकल बिड, नियम व शर्ते एवं फाइनेन्सियल बिड अलग–अलग लिफाफे में तथा उक्त दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर विज्ञप्ति संख्या एवं दिनांक अंकित करते हुये राज्य आयोग के गेट सं॰4 में लगी निविदा पेटी/बाक्स में डालनी होगी।
24. प्राप्त निविदायें दिनांक 29.08.18 को सांय 4.00 बजे निविदादाता एवं उनके प्रतिनिधि के समक्ष राज्य आयोग कार्यालय की मीटिंग हाल में खोली जायेगी।
25. मैने उपरोक्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा उसका पालन करने को बचनबद्ध हूँ।

निविदादाता का पूरा नाम :– ....

निविदादाता का आवासीय पता :– ....

स्पष्ट शब्दो में हस्ताक्षर :– ....

फर्म का पूरा नाम :– ....

फर्म का पूरा पता :– ....

निविदादाता का दूरभाष सं॰/मोबाइल नं॰..

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर